

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, पालारिवट्टम

कोच्ची - 682 025

केरल

विपणन-एसपी/जेपीआर/ईओआई/0018/2012

17.11.2023

मसाला पार्क जोधपुर, राजस्थान के भांडागार पट्टे पर लेने के लिए बोली का आमंत्रण

स्पाइसेस बोर्ड, ने राजस्थान के जोधपुर के रामपुरा भाटियाँ में बीजीय मसालों, मुख्यरूप से जीरा के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के लिए 60एकड़ की भूमि में एक मसाला पार्क स्थापित किया है। बोर्ड ने मसाला पार्क में सामान्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं भंडारण सुविधाएँ स्थापित की। पार्क में उपलब्ध सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों में सड़क, नाली, निर्बाध बिजली और पानी की पूर्ति दि शामिल हैं। बोर्ड भविष्यलक्षी उद्यमियों को मसाला प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि पट्टे पर वंटित की है। पार्क में पहले से ही 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं। अन्य 6 इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

अब स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार पार्क में उपलब्ध 7500 वर्ग फूट का भांडागार सं.1 की संचालन के लिए बोलियाँ मंत्रित कर रही है।

पात्रता

निम्नलिखित बोली प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

क) मसाला निर्यातक जिनके पास वैध सीए रईएस (मसाले के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र) है।

ख) मसाला व्यापारी जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है।

ग) कोरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली किसान उत्पादक कंपनियाँ।

घ) पण्य विनिमय।

ड) केंद्रीय / राज्य भंडारण निगम।

इच्छुक पार्टियाँ सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक पार्क में जा सकती हैं। वे दौरे के पहले निम्नलिखित पते पर उपनिदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, जोधपुर से संपर्क कर सकते हैं:

उप निदेशक

स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय

सी 65, दूसरा एक्सटेंशन कमला नेहरू नगर

जोधपुर-342001, राजस्थान

मोब:9436291612

निबंधन और शर्तें:

1. सुविधा "जहां है जैसी है" की स्थिति में किराए पर दी जाएगी।
2. सौंपने की तारीख से 5 साल के लिए भांडार को किराए पर दिया जाएगा।
3. किराया 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ाया जाएगा।
4. स्पाइसेस बोर्ड यथानुपात ष धार पर भुगतान पर सुविधाओं को पानी और बिजली प्रदान करेगा।
5. भांडार उस पार्टी को किराए पर दिया जाएगा जिसने प्रति माह उच्चतम किराया उद्धृत करने के साथ साथ बोर्ड के अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करता है।
6. उच्चतम बोलीदाता को बोर्ड से प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बोर्ड के साथ एक करार निष्पादित करना होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नाम माँ ड्राफ्ट या बोर्ड के प्राप्ति खाते में ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के रूप में तीन महीने के किराए के समतुल्य ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा का भुगतान करना होगा। बोर्ड को सुविधाएं सौंपने के समय बिना ब्याज के प्रतिभूति जमा वापस कर दी जाएगी। प्रतिभूति जमा करार के साथ प्रेषण करनी होगी।
8. उच्चतम बोलीदाता को करार की तारीख से 15 दिनों के भीतर और प्रतिभूति जमा की प्राप्ति के बाद सुविधा का कब्जा लेना होगा। यदि करार की तिथि से 15 दिनों के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो इसे निविदा शर्त-भंग माना जाएगा और बोर्ड को अन्य पात्र फर्म/एजेंसी को सुविधाएं पट्टे पर देने का अधिकार होगा।
9. 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ मासिक किराए का भुगतान हर उत्तरवर्ती महीने की 5 तारीख को या उससे पहले स्पाइसेस बोर्ड को किया जाएगा।
10. सुविधाएँ अन्य किसी फर्मों को उप किराए पर नहीं दी जाएँगी।
11. बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार रखता है।
12. तीन माह से अधिक समय तक सुविधाओं का लगातार उपयोग नहीं करने या समय पर मासिक किराया नहीं देने पर बोर्ड पट्टा समाप्त कर देगा।
13. ईएमडी बोली प्रस्तुत करने के लिए अनुप्रयोज्य नहीं है। तथापि, बोलीदाता संलग्नक-III में दिए गए निर्धारित फॉर्मेट में बोली सुरक्षा घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
14. तकनीकी बोली संलग्नक-I के रूप में दिए गए प्रारूप में बोली सुरक्षा घोषणा के साथ-साथ संलग्नक- II के रूप में दिए गए फॉर्मेट में एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसके ऊपर तकनीकी बोली लिखा हो। (लिफाफा -1)
15. वित्तीय बोली अनुबंध-III के रूप में दिए गए प्रारूप में एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसके ऊपर वित्तीय बोली लिखा हो। (लिफाफा 2)

16. तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ (लिफाफा 1 और 2) को एक सीलबंद लिफाफे में जिसके उपर "स्पाइस पार्क, जोधपुर में भांडाएर सुविधा किराए पर लेने के लिए बोली" लिखा हो, 20.12.2023 को शाम 5.00 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेजा जाए।।

उप निदेशक

स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय

सी 65, दूसरा एक्सटेंशन कमला नेहरु नगर

जोधपुर-342001, राजस्थान

मोब:9436291612

17. तकनीकी बोली 21.12.2023 को सुबह 10.30 बजे प्रादेशिक कार्यालय, स्पाइसेस बोर्ड जोधपुर में बोलीदाताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो, खोली जाएगी। तकनीकी बोलियों के अनुसार पात्र शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ 21.12.2023 को सुबह 11.30 बजे खोली जाएँगी।
18. बोर्ड को कोई कारण बताए बिना किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार है।

स्थान: कोच्ची

तारीख :17.11.2022

निदेशक(विपणन)

भाग I

मसाला पार्क जोधपुर में कैंटीन पट्टे पर देने के लिए बोली प्रस्तुत करने का फार्मेट

1	वेदक का नाम एवं पता	
2	श्रेणी (कृपया टिक करें)	वैध सी० रईएस रखने वाले मसाला निर्यातक मसाला व्यापारी जिनके पास वैध जीएसटी पंजीकरण है कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली किसान उत्पादक कंपनियाँ। पण्य विनिमय केंद्रीय / राज्य भंडारण नि०म। पण्य विनिमय
3	संलग्न समर्थक दस्तावेज़ (कृपया टिक करें)	मसाला निर्यातक- मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र मसाला व्यापारी- जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र किसान उत्पादक कंपनियाँ -पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति पण्य विनिमय
4	संपर्क व्यक्ति का नाम	
5	संपर्क व्यक्ति का ई-मेल एवं दूरभाष	
6	जीएसटी सं.	
7	पीएएन नं.	
8	भंडारित किए जाने वाले मसाले/मसाला उत्पाद	
9	बैंक विवरण	खाता नंबर बैंक का नाम शाखा ईएफएससी कोड
10	किसी अन्य विवरण	

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम:

पद

(मुहर)

संलग्नक-II

भाग II

व्यावसायिक बोली

(एक अलग मुहरबंद कवर में रखा जाना है)

भांडार के लिए प्रति वर्ग फूट प्रति माह का पट्टा
किराया

किराया राशि:

जीएसटी:

कुल:

स्थान:

तारीख:

(हस्ताक्षर)

व्यक्ति का नाम:

पद

(मुहर)

(फॉर्म के लैटर हेड में)
बोली-सुरक्षा घोषणा

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुधा भवन,
एन.एच. बायपास,
पलारीवट्टोम, कोच्ची,
केरल - 682025

संदर्भ:

स्पाइसेस बोर्ड के _____ के लिए निविदा सूचना।
.....स्पाइसेस पार्क में _____ सुविधा के लिए
हमारी बोली
दिनांकित.....

मैं/हम..... अप्रतिसंहरणीय रूप से निम्नानुसार घोषित करता/करती
हूँ/करते हैं:

मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं कि, निविदा के खंड के अनुसार, हम बयाना जमा (ईएमडी) के बदले एक बोली सुरक्षा घोषणा संलग्न कर रहे हैं।

मैं/हम एतद्वारा स्वीकार करते हैं कि मैं/हम □ पके साथ किसी भी करार के लिए बोली लगाने से अयोग्यता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य हो सकते हैं जैसा कि □ पके द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है (क्षति या किसी अन्य कानूनी सहारा दावा करने के स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) यदि,

- 1) मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन कर रहा/रही हूँ/रहे हूँ
- 2) मैं/हम बोली के फॉर्म में निर्धारित बोली वैधता अवधि या विस्तृत अवधि के दौरान मेरी/हमारी

बोली वापस किया ँ या या एकपक्षीय रूप से ँ शोधित/संशोधित/पुनरीक्षित किया ँ या, यदि कोई हो तो।

- 3) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा हमारी बोली स्वीकार करने पर, मैं/हम करार निष्पादित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा जमा करने में विफल रहे या निबंधन और शर्तों के अनुसार और विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में विफल रहे।

हस्ताक्षर:

बोली-सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पद

दिनांक _____ दिन _____ माह, _____ वर्ष।